# अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से मुख्यालय में रहे उपस्थित -कलेक्टर ने दिए निर्देश

**❒ कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक**

**रायगढ़।** सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालयों में उपस्थित रहते हुए कार्य का संपादन करना है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके मैदानी अमले कार्य दिवसों पर नियत समय पर अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में कही। उन्होंने कार्य स्थल पर प्रशासनिक अमले की उपस्थिति के संबंध में बात करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित हो कि पटवारी नियत दिनों में अपने हल्के वाले गांवों में उपस्थित रहे, इसके साथ ही शिक्षक, पंचायत सचिव, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास व आदिवासी विकास के कर्मचारी भी अपने कार्य स्थलों पर नियमित रूप से मौजूद रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ सभी एसडीएम को इसका औचक निरीक्षण करने व बिना सूचना के अनुपस्थित लोगों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि 31 मार्च के पहले सभी तहसीलों में दर्ज प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। उन्होंने अविवादित नामांतरण, सीमांकन सहित दूसरे राजस्व प्रकरणों पर तेजी से कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि सीएम जनचौपाल व कलेक्टर जनचौपाल में दर्ज प्रकरण पर अधिकतम दो माह के अंदर निराकृत कर लिए जाये तथा प्रकरण समय-सीमा के बाहर लंबित न हो।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरित पेंशन भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों को प्रतिमाह 7 तारीख तक पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। इसके लिए सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करें जिससे जिला स्तर पर भुगतान की कार्यवाही नियत तिथि तक सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर सिंह ने धान के उठाव व चावल जमा करने के संबंध में भी खाद्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। बताया गया कि अधिकांश समितियों से चावल का उठाव कर लिया गया है। कुछ समितियां जहां उठाव शेष है वहां भी जल्द उठाव का कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने 20 मार्च तक उठाव पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने समितियों से बारदाने का उठाव भी जल्द पूरा करवाने की बात कही।

कलेक्टर सिंह ने गौठानों में गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण तथा उसके विक्रय व महिला समूहों के भुगतान के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी गौठानों में वहां गोबर खरीदी विक्रय, मल्टी एक्टीविटी तथा महिला समूहों की जानकारी से जुड़े पंजियों का अनिवार्य रूप से संधारण किया जाए, ताकि सभी जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो। उन्होंने गौठानों में पशुओं की उपस्थिति पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाए। उन्होंने हरा चारा की उपलब्धता अनिवार्य रूप से गौठानों में सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने नरवा के तहत पंचायत तथा वन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने खनिज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में अवैध रेत उत्खनन पर नियमित कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम से नगरीय निकाय व ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मंडावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### दसवीं बोर्ड के गणित परीक्षा संपन्न : 19966 परीक्षार्थियों में 1197 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 15 मार्च को गणित विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिले में 19 हजार 966 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 18 हजार 769 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई एवं 1197 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

### विवाहिता के होते दूसरी महिला को पत्नी का दर्जा, पति पर प्रताड़ना का एफआईआर

**रायगढ़।** पुलिस चौकी जोबी में भूपदेवपुर थानाक्षेत्र की महिला द्वारा उसके पति पर उसके जीवत रहते हुए बिना तलाक लिये अन्य महिला को घर लाकर पत्नी बनाकर रखने एवं प्रताड़ित करने के संबंध में दिये गये आवेदन पर चौकी प्रभारी जोबी द्वारा प्रताड़ना एवं मारपीट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पीड़िता बताई कि वर्ष 2016 में समाजिक रीति रिवाज के साथ इसकी शादी ग्राम छिरपानी के युवक के साथ हुई है। पति ड्राईवरी का काम करता है व शराबी किस्म का है, आये दिन शादी के समय दहेज में कुछ नही लाई है। अब दहेज में मोटर सायकल, दस हजार रुपये की मांगकर ला कहकर अश्लील गाली गलौच करता था। दिनांक 01.02.2022 के रात्रि मे लाठी डंण्डा से मारपीट किया जिससे उंगली में फैक्चर हो गया है। महिला बताई कि उसका पति ग्राम ऐडु की एक युवती को घर लाकर पत्नी बनाकर रखा है। इसके बीमार पडने पर ईलाज नहीं करवाता है और न ही जीवनोपयोगी वस्तुएं देता है। महिला के लिखित आवेदन पर महिला के पति पर धारा 498 (ए), 494, 294, 323, 325 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

### आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 30 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

**रायगढ़।** एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र दरोगापारा वार्ड क्रमांक 18, मौदहापारा बी वार्ड क्रमांक 30 तथा आंगनबाड़ी केन्द्र देवारपारा ए वार्ड क्रमांक 38 में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए 16 से 30 मार्च 2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि तक अपना आवेदन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)में जमा कर सकते है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश व नियम शर्तों की जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

### शाला बंद पाए जाने पर शिक्षक को किया गया निलंबित

**जगदलपुर (आरएनएस)।** जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास के भ्रमण के दौरान दरभा ब्लॉक के ग्राम साईगुड़ा स्कूल को बंद पाए जाने पर शिक्षक प्रकाश सिंह कुरेटी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान ने बताया कि आज जिला पंचायत के सीईओ व्यास द्वारा दरभा ब्लॉक में संचालित विकास कार्यों का अवलोकन किया जा रहा था। इसी दौरान साईगुड़ा प्राथमिक शाला को बंद पाया गया जिसके कारण सहायक शिक्षक (एलबी) प्रकाश सिंह कुरेटी के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।

## ओएलएक्स में दिये विज्ञापन पर ठग ने कॉल कर बनाया बुजुर्ग को अपना शिकार

**❒ बैंक खाते से उड़ाए 3.99 लाख रुपये**

**रायगढ़।** दिनांक 14.03.2022 को थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत जलसा मैरिज गार्डन के पास पार्क रेसीडेंसी बोईरदादर में रहने वाले के. भास्कर राव पिता के सीतारमैय्या (उम्र 59 वर्ष) द्वारा उनके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3,99,446 रुपये ऑनलाइन ठगी किये जाने का आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता बताया कि इसका विशाखापटनम के गाजूवाका में मकान है जिसे किराये पर देने के लिये OLX में विज्ञापन डाला था, उसके चार दिन बाद एक अज्ञात व्यक्ति मोबाईल नंबर 993773XXXX से फोन किया और अपना नाम अनिकेत बताया और CISF में नौकरी करना बताते हुए मकान को किराया पर लेना बोला। तब के, भास्कर राव उसे दो माह का 16,000 रुपये एडवांस रकम मांगा। अज्ञात व्यक्ति दिनांक 13.03.2022 को करीब प्रातः 11.00 बजे कॉल कर उसके फेण्डल बैंक के खाता नंबर को व्हाटसअप किया और बोला कि इसे अपने अकाउंट में जोड़ ले ताकि एडवांस रकम और समय पर किराया रकम मिलता रहे। उसकी बातों में आकर उसके फेण्डल बैंक खाता को अपने बैंक खाता से जोड़ने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा खाते से दिनांक 13.03.2022 एवं दिनांक 14.03.2022 को कुल 3,99,446 रुपये *खाते से अपने खाता में आहरण कर लिया गया। रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

## चक्रधरनगर पुलिस ने लापता बालिका को 2 घंटे में खोज निकाला

**❒ बालिका की मां पहुंची थाने तो पुलिस ने की त्वरित कार्यवाई**

**रायगढ़।** दिनांक 14.03.2022 को थाना चक्रधरनगर में अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आई महिला की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाई करते हुये थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनवकांत के निर्देशन पर तत्काल थाने से उप निरीक्षक डी.के. बहिदार हमराह स्टाफ के साथ बालिका की मां को लेकर बालिका की पतासाजी में निकले बालिका मुकुटनगर क्षेत्र में पुलिस टीम को मिली, जिसका आज चाईल्ड लाइन, न्यायालयीन कथन कराकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 14.03.2022 के शाम ग्राम संबलपुरी की महिला उसके नाबालिग बालिका घर में बिना बताये दिनांक 13.03.2022 के शाम कहीं चली गई है। नाबालिग के साथ किसी अनहोनी की आशंका को लेकर बालिका की मां काफी चिंतित थी। थाना प्रभारी द्वारा बालिका की मां से बालिका के फोटो, हुलिये की जानकारी लिया गया। बालिका की मां बताई की बालिका रुपये नहीं पकड़ी है, घर का एटीएम, आधार कार्ड ले गई है। उसी एटीएम से कल रुपये भी निकले हैं जिस पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा किस एटीएम से रुपये निकाला गया है कि जानकारी लिया गया जिस पर कियोस्क शाखा मुकुट नगर से रूपये निकाले जाने की जानकारी मिली।

तत्काल थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ मुकुटनगर जाकर पतासाजी करने का निर्देश दिये। पुलिस टीम बालिका की मां लेकर मुकुटनगर पहुंची, जहां बालिका एटीएम के पास रुपये निकालते हुए मिली। पुलिस द्वारा बालिका को साथ लेकर थाना लाया गया जिसे आज चाईल्ड लाइन, न्यायालय कथन कराकर उसके माता के सुपुर्द किया गया है। बालिका कथन में बताई कि मां घर में बंद कर काम पर चली जाती है, उसे बाहर जाने नही देते इसलिए घर से भाग गई थी।

## आमंत्रित निविदाओं में अनियमितता का मामला उठा

**❒ नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा**

**❒ वनमंत्री ने कहा-सभी मामलों में शो-काज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जवाब आने के बाद कार्यवाही की जाएगी**

**❒ 07 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई**

**रायपुर (आरएनएस)।** विधानसभा में आज नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आमंत्रित निविदाओं में अनियमितताओं का मामला उठाया। इस मामले में वन मंत्री ने कहा कि इस मामले में 07 भारतीय वन सेवा एवं 02 राज्य वन सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा जिन 33 निविदाओं में अनियमितता पायी गई है उन सभी मामलों में शो-काज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद निश्चित कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नकाल में नेताप्रतिपक्ष श्री कौशिक द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए वन मंत्री मो. अकबर ने बताया कि 29 दिसंबर 2020 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 क्रमांक 872 में विभाग के द्वारा यह बताया गया था कि 37 निविदाओं में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई। उन्होंने बताया कि इन 33 निविदाओं में भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। इसके लिए 07 भारतीय वन सेवा एवं 02 राज्य वन सेवा के अधिकारी दोषी पाये गये है जिनके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 एवं छग सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में किसी को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समस्त निविदाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष के आधार पर भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन होना पाया गया। उन्होंने बताया कि प्रशावधि के पश्चात आमंत्रित निविदाओं में से 02 निविदाओं में अनियमितता होना पाया गया। 02 निविदा में फार्म बिक्री के लिए दी जाने वाली अवधि नियमानुसार नहीं पायी गयी। निर्धारित समाचार पत्रों में प्रकाशन की अनियमितता कहीं नहीं पायी गयी। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अखिल भारतीय नियम 1969 एवं छग सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

नेताप्रतिपक्ष ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि इस मामले में कब तक कार्यवाही की जाएगी। इस पर वनमंत्री ने बताया कि शो-काज नोटिस जारी किया गया है। 15 दिनों के अंदर जवाब आने के बाद निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इससे पूर्व भी शो काज नोटिस जारी किया गया था। यह दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है।

इस पर भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए समय-सीमा निर्धारित होता है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि पहला नोटिस कब जारी किया गया था तथा उसका जवाब नहीं आने पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

इस पर वन मंत्री ने पुन: कहा कि शो काज नोटिस का जवाब आने पर कार्यवाही की जाएगी।

## 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज से लगेगा कोरोना का टीका, पहले दिन पीएचसी रामभांठा में लगेंगे टीके

**❒ 60 साल से अधिक के सभी लोगों को लग सकेगा प्रिकॉशन डोज**

**रायगढ़।** कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में 16 मार्च से 12-14 वर्ष के बच्चों का कोरोना टीकाकरण की शुरूआत हो रही है। 12-14 वर्ष के बच्चों को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित कॉरबेवैक्स का टीका लगाया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.भानु पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के टीकाकरण के पहले दिन सिर्फ पीएचसी रामभांठा में सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर ऑन स्पाट रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आने वाले दिनों में पूरे जिले में बच्चों के टीकाकरण के लिए केन्द्र तैयार कर टीका लगाने का कार्य किया जाएगा। जिसकी विस्तृत जानकारी अलग से दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा सकेगा। मालूम हो कि अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु श्रेणी के कोमॉर्बिड लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। उक्त आयु श्रेणी के ऐसे लोग जिन्हें टीके की दूसरी डोज लगवाये 9 माह पूर्ण हो चुके है। वे अपने नजदीकी प्राथमिक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर प्रिकॉशन डोज लगवा सकते है। इसके लिए उन्हे टीकाकरण के द्वितीय डोज लगवाने का सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा।

## हाईस्कूल जामगांव में हुआ सरस्वती सायकल का वितरण, 52 छात्राएं हुए लाभान्वित

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामगांव, विकासखण्ड रायगढ़ में 52 बालिकाओं को सायकल वितरण किया गया। बालिकाओं के सायकल वितरण कार्यक्रम में जामगांव हायर सेकेंडरी स्कूल के शाला विकास समिति अध्यक्ष एस.के.चौहान, सरपंच सायरा बानो एवं उपसरपंच अशोक अग्रवाल, ग्राम पंचायत कोलाइबहाल प्राचार्य पी.आर.खूंटे एवं स्कूल के समस्त व्याख्याता, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपस्थिति में निःशुल्क सरस्वती सायकल वितरण किया गया। अध्यक्ष एवं सरपंच ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आप सबको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निःशुल्क सायकल का वितरण किया जा रहा है, ताकि आप सभी को अपने घर से स्कूल आने-जाने में असुविधा न हो और आप अपना पढ़ाई निरन्तर जारी रख सकें। यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका आप सभी को लाभ मिल रहा है। सायकल पाकर सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी।

## प्रोजेक्ट 'उन्नति' के जरिए मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के 6 श्रमिक होंगे सम्मानित

**❒ -केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा सम्मान**

**रायपुर (आरएनएस)।** केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के छह श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के इन श्रमिकों को प्रोजेक्ट 'उन्नति' के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-स्वरोजगढ़) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट 'उन्नति' के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट 'उन्नति' में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की श्रीमती नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की श्रीमती फूलवंती कंवर को सम्मानित किया जाएगा। कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की सुश्री गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की सुश्री ओमेश्वरी कंवर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आर-सेट्टी में प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के श्री कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के श्री बिमल साव को भी नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480